

FOR PUBLISHING ON THE WEB SITE

No. A-50013/292/2021-E-II
GOVERNEMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION,

ADVERTISEMENT

One post of '**Chief Administrative Officer**' in the Central Water and Power Research Station, Pune in the Pay Level 11 (Rs 67700 - 208700) of Pay Matrix of the Revised pay rule of 2016 (PB-3 Rs.15,600-39,100+Rs.6,600 GP (Pre-Revised), Group 'A', Gazetted, is required to be filled up by **Promotion/deputation (including short-term contract)/ absorption :-**

1. Officers under the Central/State Government/union Territories/ Universities/ Public Sector Undertakings/ Recognized Research Institutes/ Semi Government/ Autonomous /statutory organizations:

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in parent cadre or Department;

OR

(ii) with five years regular service in the Pay Level 10 (Rs 56100 - 177500) of Pay Matrix of the Revised pay rule of 2016 (PB-3, Rs. 15600—39100 + Rs. 5400 GP (Pre-revised)) or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with seven years regular service in the Pay Level 7 (Rs 44900 - 142400) of Pay Matrix of the Revised pay rule of 2016 (PB-2, Rs. 9300—34800 + Rs. 4600 GP(Pre-revised)) of or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) having five years experience in administrative and establishment matters

2. The Departmental Administrative Officer in Pay Band-2 Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 with seven years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion

Note 1.—Only Officers from Central Government/State Government/ Union Territory are eligible for being considered for appointment by absorption.

Note 2.—The departmental officers in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3.—Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 4.—The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 5.—For the purpose of appointment on promotion/ deputation (including short term contract)/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement Grade without any up gradation.

4. The terms and conditions of the deputation would be the same as prescribed by the Department of Personnel & Training vide their O M No.2/29/91-Estt. (Pay II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

5. Interested and eligible officers may send their applications (in triplicate) in the prescribed proforma (Annexure-'A') to the Under Secretary (E-II), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR, Room No.435, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001, through proper channel, **within 60 days from the date of issue of this advertisement.** The closing date of receipt of applications from candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Laddakh (Union territory), Lahaul & Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad will be 67 days from the date of publication of advertisement. While forwarding the applications, along with attested photocopies of ACRs for the last five years, Integrity certificate and No Penalty Certificate during the last ten years in respect of the officers, the Cadre/Administrative Authority should certify that the particulars furnished by the officers are correct and that no vigilance/disciplinary case is pending against the officer(s). Applications received after the last date or without copies of ACRs/Integrity Certificate/No Penalty Certificate/Vigilance Clearance Certificate or otherwise found incomplete will not be considered. The candidates who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु

संख्या: 50013/292/2021-स्था

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय,
जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण विभाग

विज्ञापन

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में मुख्य प्रशासन अधिकारी, समूह "क", राजपत्रित, स्तर का एक पद वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रु.67700 - 208700 - संशोधित) (वेतन बैंड -3 रु. 15600-39,100 + रु.6,600 ग्रेड वेतन-पूर्व-संशोधित) में पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध)/आमेलन के द्वारा भरा जाना आवश्यक है :

1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघीय शासित प्रदेश/ विश्वविद्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शिक्षण संस्थान/ अर्द्ध सरकारी / स्वायत्त और सांविधिक संगठन के ऐसे अधिकारी:-

(क)(i) नियमित आधार पर मूल कैडर या विभाग में अनुरूप पद धारण कर रहे हैं;
या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (Rs.56100-177500- संशोधित) (वेतनबैंड -3 रु.15600-39100 ग्रेड वेतन 5400- पूर्व संशोधित)में पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; या

(iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (Rs.44900-142400- संशोधित) (वेतनबैंड -2 रु.9300-34800 ग्रेड वेतन 4600- पूर्व संशोधित)में सात वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों;

और

(ख) प्रशासनिक तथा स्थापन के मामलों में पांच वर्ष का अनुभव

2. विभागीय प्रशासनिक अधिकारी, जिसने वेतन बैंड-2 रु.9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- में नियमित 7 वर्ष की सेवा की है, उन्हें बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा, अगर वह चयनित होता है, यह पदोन्नति के रूप में माना जाएगा।

टिप्पणी १.—केवल केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी ही आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

टिप्पणी २.— फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी ३.—केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आमतौर पर नहीं होगी तीन साल से अधिक करने के लिए।

टिप्पणी ४.— प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को ५६ वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी ५.—प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा या जिस तारीख से संशोधित वेतन संरचना के आधार पर छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को बढ़ा दिया गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का विलय किया गया हो। एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में वेतन, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

4. प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें वही होंगी जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके कार्यालय जापन संख्या 2/29/91-स्था. (वेतन II) दिनांक 05.01.1994 समय-समय पर यथा संशोधित।

5. अनुरोध है कि इच्छुक और पात्र अधिकारियों का आवेदन तीन प्रतियों में निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक - क) में अद्यतन गोपनीय रिपोर्टें, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, पिछले 10 वर्षों में कोई शास्ति न लगाने का प्रमाण-पत्र और सतर्कता निकासी के साथ अवर सचिव (स्थापना-II), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा सं-435, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को इस संबंध में 'रोजगार समाचार पत्र' में विज्ञापन जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भेज दिए जाएं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, लद्दाख (केन्द्र शासित प्रदेश) हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा

चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप) या विदेश से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख इस विज्ञान के प्रकाशन की तारीख से 67 दिन होगी। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों अथवा बिना गोपनीय रिपोर्टों, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, कोई शास्ति न होने और सर्तकता निकासी प्रमाण-पत्र के या अन्य रूप से अधूरे पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप, इस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा आवेदन किए जाने के पश्चात उम्मीदवारी को वापिस नहीं लिया जा सकता ।